

दिशा-निर्देश (सत्र 2026-27) थैरेपेटिक सेवाएं

(IEd-Samagra- Therapeutic Services)

अवधारणा एवं उद्देश्य :-

वार्षिक कार्ययोजना सत्र 2026-27 के समावेशी शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) में दोष की तीव्रता कम करने तथा उनकी अधिशेष क्षमताओं के अभिवर्द्धन हेतु ब्लॉक के संदर्भ कक्ष पर पुनर्वास विशेषज्ञों के माध्यम से फिजियोथैरेपी, स्पीच थैरेपी एवं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इत्यादि थैरेपेटिक सेवाएँ उपलब्ध करवायी जायेगी। जिसकी कार्यवाही निम्नानुसार की जानी है :-

1. फीजियोथैरेपिस्ट :-

1.1 अपेक्षित योग्यता :- मास्टर ऑफ फिजियोथैरेपी (M.P.T)/बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी (B.P.T)

1.2 कार्य :-

- ब्लॉक पर चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) की फीजियो थैरेपी संबंधी आवश्यकताओं का आकलन कर कार्ययोजना निर्माण करना।
- कार्यक्रम संचालन हेतु ब्लॉक पर कार्यरत संदर्भ शिक्षकों की क्षमता अभिवर्द्धन करना।
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) के अभिभावक को उनके घर पर इस कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रशिक्षित करना।
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) को निर्धारित थैरेपी कार्यक्रम के अनुसार संबलन दिया जाना है। दिये गये थैरेपेटिक संबलन का समय-समय पर मूल्यांकन करते हुए किये गये सुधार का अभिलेख संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जाना है।
- विद्यार्थियों (CwSN) की आवश्यकतानुसार थैरेपी कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए *intervention* का पुनर्निर्धारण किया जाना।
- विद्यार्थियों (CwSN) की समय एवं स्थानजनित तात्कालिक समस्याओं का निवारण।

1.3 मानदेय :-

- फिजियोथैरेपिस्ट हेतु प्रारम्भिक असेसमेन्ट के लिए अधिकतम ₹150/-प्रति विद्यार्थी एवं फोलोअप कार्यक्रम हेतु अधिकतम ₹ 125/-प्रति विद्यार्थी मानदेय देय होगा।
- फिजियोथैरेपिस्ट को जिला मुख्यालय से ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (संदर्भ कक्ष) तक जाने हेतु साधारण रेल/बस का आने-जाने का वास्तविक किराया देय होगा।

Signature valid

Digitally signed by Rajkaj Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.07.27 22:22:20 IST
Reason: Approved 11 Page

RajKaj Ref No.:
23546130

M e-Sign



- फोलोअप कार्यक्रम के लिए फिजियोथैरेपिस्ट एवं विद्यार्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- फीजियोथैरेपिस्ट द्वारा प्रेषित बिल का भुगतान संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं संदर्भ शिक्षक द्वारा प्रस्तुत कार्य रिपोर्ट के आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

2. स्पीच थैरेपिस्ट :-

2.1 अपेक्षित योग्यता:- बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी (B.A.S.L.P)/डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच (D.H.L. S)

2.2 कार्य :-

- ब्लॉक पर चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) की स्पीच थैरेपी संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन कर कार्ययोजना निर्माण करना।
- कार्यक्रम संचालन हेतु ब्लॉक पर कार्यरत संदर्भ शिक्षकों की क्षमता अभिवर्द्धन करना।
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) के अभिभावक को उनके घर पर इस कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रशिक्षित करना।
- विद्यार्थियों (CwSN) को निर्धारित थैरेपी कार्यक्रम के अनुसार संबलन दिया जाना है। दिये गये थैरेपिक संबलन का समय-समय पर मूल्यांकन करते हुए किये गये सुधार का अभिलेख संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जाना है।
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) की आवश्यकतानुसार थैरेपी कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए *intervention* का पुनर्निर्धारण किया जाना।
- विद्यार्थियों (CwSN) की समय एवं स्थानजनित तात्कालिक समस्याओं का निवारण।

2.3 मानदेय :-

- स्पीच थैरेपिस्ट हेतु प्रारम्भिक असेसमेन्ट के लिए अधिकतम ₹ 150/-प्रति विद्यार्थी एवं फोलोअप कार्यक्रम हेतु अधिकतम ₹ 125/-प्रति विद्यार्थी मानदेय देय होगा।
- स्पीच थैरेपिस्ट को जिला मुख्यालय से ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (संदर्भ कक्ष) तक जाने हेतु साधारण रेल/बस का आने-जाने का वास्तविक किराया देय होगा।
- फोलोअप कार्यक्रम के लिए उपस्थिति अनिवार्य है।
- स्पीचथैरेपिस्ट द्वारा प्रेषित बिल का भुगतान संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य एवं संदर्भ शिक्षक द्वारा प्रस्तुत कार्य रिपोर्ट के आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

3. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट :-

3.1 अपेक्षित योग्यता:- डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी/अधिस्नातक (क्लिनिकल साइकोलॉजी)

3.2 कार्य :-

- ब्लॉक पर चिन्हित मानसिक विमन्दित बच्चों का I.Q. Level तय करना।
- विद्यार्थियों (CwSN) के I.Q. Level के अनुसार कार्यक्रम निर्धारण करना।
- विद्यार्थियों (CwSN) के व्यवहार संबंधी समस्याओं के परिमार्जन हेतु कार्यक्रम निर्धारण करना।

Signature valid

Digitally signed by Rajkaj Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.07.27/20:22:20 IST
Reason: Approved 2 | Page

RajKaj Ref No.:
23546130

M e-Sign

- विद्यार्थियों (CwSN) के व्यवहार संबंधी समस्याओं के परिमार्जन हेतु निर्धारित कार्यक्रम के संचालन के लिए ब्लॉक संदर्भ शिक्षकों एवं अभिभावकों को परामर्श/प्रशिक्षण प्रदान करना।
- विद्यार्थियों (CwSN) के संबंध में संदर्भ शिक्षक एवं अभिभावकों की विशिष्ट क्षमता अभिवर्द्धन करना।
- विद्यार्थियों (CwSN) की समय एवं स्थानजनित तात्कालिक समस्याओं का निवारण।

3.3 मानदेय :-

- क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेतु प्रारम्भिक असेसमेंट के लिए अधिकतम ₹150/-प्रति विद्यार्थी एवं फोलोअप कार्यक्रम हेतु अधिकतम ₹ 125/-प्रति विद्यार्थी मानदेय देय होगा।
- क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को जिला मुख्यालय से ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (संदर्भ कक्ष) तक जाने हेतु साधारण रेल/बस का आने-जाने का वास्तविक किराया देय होगा।
- फोलोअप कार्यक्रम के लिए उपस्थिति अनिवार्य है।
- साइकोलॉजिस्ट द्वारा प्रेषित बिल का भुगतान संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं संदर्भ शिक्षक (CwSN) द्वारा प्रस्तुत कार्य रिपोर्ट के आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

4. अन्य प्रावधान :-

1. जिले में ब्लॉक की संख्या तथा विद्यार्थियों (CwSN) की संख्या के आधार पर एक से अधिक पुनर्वास विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जा सकेगी परन्तु किसी भी स्थिति में व्यय जिले को आवंटित बजट राशि से अधिक नहीं किया जा सकेगा।
2. जिला परियोजना समन्वयक जिला स्तर पर उक्त विशेषज्ञों के चयन की योग्यता का उल्लेख करते हुए स्थानीय एक या दो दैनिक समाचार पत्रों में न्यूनतम पठनीय साइज में 15 अगस्त 2026 से पूर्व विज्ञप्ति जारी करेंगे व प्रति विद्यार्थी की न्यूनतम दर के आधार पर योग्य विशेषज्ञ का चयन पारदर्शिता से सुनिश्चित करेंगे। सुलभ संदर्भ हेतु विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।
3. थैरेपेटिक सर्विसेज की विज्ञप्ति हेतु व्यय इसी उपमद से किया जायेगा।
4. पुनर्वास विशेषज्ञों का चयन उक्त वर्णित शर्तों के अनुरूप ही जिला स्तर पर किया जाना है। इस संबंध में परिषद स्तर से कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।
5. संदर्भ व्यक्ति (CwSN) द्वारा विद्यार्थियों को दिये गये थैरेपिक संबलन उपरान्त आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) राजस्थान की DEIC टीम के पास थैरेपी हेतु भिजवाया जाये।
6. एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में परिषद कार्यालय से निर्गत पत्र क्रमांक 5979 दिनांक 05.09.2018 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
7. पुनर्वास विशेषज्ञों के साथ जिला परियोजना समन्वयक उक्त दरों पर वर्ष पर्यन्त कार्य करने हेतु ₹50 के नॉनज्युडीशियल स्टाम्प पेपर पर एम.ओ.यू करेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Rasmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.07.27 22:22:20 IST
Reason: Approved 3 | Page

8. जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिले में चयनित पुनर्वास विशेषज्ञों को प्रत्येक माह की 5 तारीख से पूर्व संपूर्ण माह का विजिट कार्यक्रम निर्धारित कर दिया जायेगा। विजिट कार्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि प्रत्येक ब्लॉक पर प्रतिमाह प्रत्येक पुनर्वास विशेषज्ञ की कम से कम एक बार विजिट सुनिश्चित हो। कार्यक्रम की प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाये।
9. विद्यार्थियों (CwSN) को पुनर्वास विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित तिथियों में संदर्भ कक्ष पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित ब्लॉक के सीबीईओं के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IEd) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/ संदर्भ कक्ष वाले विद्यार्थी माल में कार्यरत विशेष शिक्षक का होगा। विजिट दिवस को कम से कम 10 पात्र बालक-बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। यदि इससे कम संख्या में विद्यार्थियों (CwSN) उपस्थित रहते हैं, तो सीबीईओं द्वारा संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
10. थेरेपेटिक संबलन के दिन विद्यार्थियों (CwSN) एवं अभिभावकों के नाश्ते हेतु ₹20/- प्रति संभागी की दर से व्यय किया जा सकेगा।
11. विद्यार्थियों (CwSN) तथा संरक्षकों हेतु नाश्ते की व्यवस्था नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर की जाये।
12. विद्यार्थियों (CwSN) व अभिभावकों को वास्तविक किराया देय होगा।
13. उक्तानुसार समस्त रिकॉर्ड का संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जायेगा।
14. उक्त कार्यक्रम के संपूर्ण पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी संबंधित ब्लॉक के सीबीईओ/यूसीईईओ की होगी।

5. वित्तीय प्रावधान :-

- पुनर्वास विशेषज्ञों (Therapeutic Services) की व्यवस्था हेतु राशि ₹21,999/- प्रति ब्लॉक का प्रावधान।
- प्रबंध पोर्टल पर व्यय की प्रविष्टि प्रति जिला अनुसार की जायेगी।

मॉनिटरिंग :-

- कार्यक्रम की प्रभावी मॉनीटरिंग संबंधित ब्लॉक के सीबीईओ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा पर्यवेक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सीबीईओ संबंधित ब्लॉक व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
- इस परिप्रेक्ष्य में जिला परियोजना समन्वयक उक्तानुसार कार्यवाही कर परिषद् कार्यालय को रिपोर्ट प्रेषित करायेंगे।

क्र. सं.	नाम पुनर्वास विशेषज्ञ	विशेषज्ञता का क्षेत्र	इस माह में असेसमेंट किये गये बच्चों का नाम एवं श्रेणीवार संख्या	इस माह में फॉलोअप किये गये बच्चों का नाम एवं श्रेणीवार संख्या	असेसमेंट तथा फॉलोअप के पश्चात् बच्चों में परिलक्षित सुधार

Signature valid

Digitally signed by Rajkaj Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.07.27 22:22:20 IST
Reason: Approved 4 | Page

RajKaj Ref No.:
23546130

M e-Sign

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जाये।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा—निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(डॉ० रश्मि शर्मा)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2026-27 / Therapeutic Services /

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (योजना एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.07.27 22:22:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23546130

M e-Sign

(जिले का नाम)

विज्ञप्ति

जिले में स्थापित संदर्भ कक्षों पर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) के असेसमेन्ट पश्चात् अपेक्षित संबलन प्रदान करने हेतु फीजियो थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट व क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट की सेवाओं की प्रति विजिट प्रति विद्यार्थी की दर के आधार पर आवश्यकता है। नियमानुसार योग्यताधारी प्राप्त इच्छुक व्यक्ति पंजीकृत एव मान्यता प्राप्त संस्थाओं से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु दरें अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। दरें प्रारम्भिक असेसमेन्ट व फोलोअप कार्य दोनों हेतु अलग-अलग देनी होगी।

जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा,
जिला.....

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.07.27/20:22:20 IST
Reason: Approved

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2026-27/

दिनांक :

केस हिस्ट्री

- विद्यार्थी का नाम
- पिता/माता का नाम
- आयु
- दोष का प्रकार एवं श्रेणी
- स्थायी पता एवं मोबाइल नं0
- विद्यार्थी से संबंधित समस्याएं यदि कोई हो तो
- विद्यार्थी की वर्तमान स्थिति (संबंधित को ✓ करें)
 - (A) दैनिक जीवन के क्रियाकलाप (सामान्य/ न्यून/लगभग, नगण्य)
 - (B) सामाजिक कौशल (सामान्य/ न्यून/लगभग, नगण्य)
 - (C) शैक्षणिक कौशल (सामान्य/न्यून/लगभग, नगण्य)
 - (D) पूर्व व्यावसायिक कौशल (सामान्य/न्यून/लगभग, नगण्य)
- विद्यार्थी में दोष के कारण
 - (A) जन्म से पूर्व
 - (B) जन्म के समय
 - (C) जन्म के पश्चात्
- विद्यार्थी के दोष का पता व जानकारी कब व किसके द्वारा हुआ ?
- अभिभावकों के द्वारा किए गए प्रारम्भिक प्रयास :-
- यदि विद्यार्थी को वर्तमान में होमबेस्ड एज्यूकेशन उपलब्ध कराई जा रही है तब सुधार की स्थिति -

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.07.27/20:22:20 IST
Reason: Approved 7 | Page

- विद्यार्थी हेतु किसी अंग व उपकरण अथवा सहायक सामग्री की आवश्यकता :-

.....

- विद्यार्थी को उपलब्ध करवाई गई सहायता का विवरण :-

.....

- बालक के अंग व उपकरण की वर्तमान स्थिति :-

.....

- विद्यार्थी के प्रभावी विकास हेतु किए जाने वाले उपचारात्मक प्रयास :-

.....

.....

.....

- विद्यार्थी के प्रभावी विकास हेतु अभिभावकों से अपेक्षाएँ :-

.....

.....

.....

- विशेष विवरण :-

.....

.....

.....

दिनांक :-

हस्ताक्षर

संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/विशेष शिक्षक

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.07.27/21:22:20 IST
Reason: Approved 8 | Page

RajKaj Ref No.:
23546130

M e-Sign

INCLUSIVE EDUCATION 2026-27

Therapeutic Services

S.N.	Name of District	PHY.	No. of Blocks	Fin. (in Rs. 21999 per Blocks)
1	AJMER	1	10	2.20
2	ALWAR	1	11	2.42
3	BALOTARA	1	9	1.98
4	BANSWARA	1	13	2.86
5	BARAN	1	8	1.76
6	BARMER	1	14	3.08
7	BEAWAR	1	6	1.32
8	BHARATPUR	1	7	1.54
9	BHILWARA	1	14	3.08
10	BIKANER	1	10	2.20
11	BUNDI	1	5	1.10
12	CHITTAURGARH	1	11	2.42
13	CHURU	1	8	1.76
14	DAUSA	1	12	2.64
15	DEEG	1	6	1.32
16	DHAULPUR	1	6	1.32
17	DIDWANA-KUCHAMAN	1	7	1.54
18	DUNGARPUR	1	12	2.64
19	GANGANAGAR	1	9	1.98
20	HANUMANGARH	1	7	1.54
21	JAIPUR	1	24	5.28
22	JAISALMER	1	7	1.54
23	JALOR	1	10	2.20
24	JHALAWAR	1	8	1.76
25	JHUNJHUNU	1	11	2.42
26	JODHPUR	1	15	3.30
27	KARALI	1	8	1.76
28	KHAIRTHAL-TIJARA	1	4	0.88
29	KOTA	1	6	1.32
30	KOTPUTLI-BEHROR	1	6	1.32
31	NAGPUR	1	8	1.76
32	PALI	1	9	1.98
33	PHALODI	1	8	1.76
34	PRATAPGARH (RAJ.)	1	8	1.76
35	RAJSAMAND	1	8	1.76
36	SALUMBAR	1	6	1.32
37	SAWAI MADHOPUR	1	7	1.54
38	SIKAR	1	12	2.64
39	SIROHI	1	5	1.10
40	TONK	1	7	1.54
41	UDAIPUR	1	16	3.52
	Total	41	378	83.16

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.07.27/21:22:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23546130

M e-Sign